इतिहास और नागरिकशास्त्र

छठी कक्षा

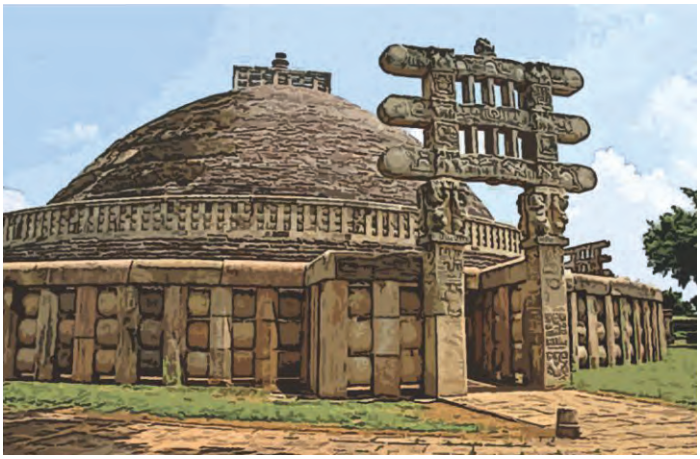

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

स्वीकृति क्रमांक : मराशैसंप्रप/अविवि/शिप्र/२०१५-१६/१६७३ दिनांक ६.४.२०१६

इतिहास और नागरिकशास्त्र

छठी कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R. Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R. Code में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रथमावृत्ति : २०१६
पुनर्मुद्रण : नवम्बर २०२०

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११००४.

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है । इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

इतिहास विषय समिति :

डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष
श्री मोहन शेटे, सदस्य
श्री पांडुरंग बलकवडे, सदस्य
ॲड. विक्रम एडके, सदस्य
डॉ. अभिराम दीक्षित, सदस्य
श्री बापूसाहेब शिंदे, सदस्य
श्री बाळकृष्ण चोपडे, सदस्य
श्री प्रशांत सरूडकर, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिकशास्त्र विषय समिति :

डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
प्रा. साधना कुलकर्णी, सदस्य
डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

इतिहास एवं नागरिकशास्त्र अभ्यासगट :

श्री राहुल प्रभू
श्री संजय वझरेकर
श्री सुभाष राठोड
सौ. सुनीता दळवी
प्रा. शिवानी लिमये
श्री भाऊसाहेब उमाटे
डॉ. नागनाथ येवले
श्री सदानंद डोंगरे
श्री रवींद्र पाटील
श्री विक्रम अडसूळ
सौ. रूपाली गिरकर
सौ. मिनाक्षी उपाध्याय
सौ. कांचन केतकर
सौ. शिवकन्या पटवे
डॉ. अनिल सिंगारे
डॉ. रावसाहेब शेळके
श्री मरीबा चंदनशिवे
श्री संतोष शिंदे
डॉ. सतीश चापले
श्री विशाल कुलकर्णी
श्री शेखर पाटील
श्री संजय मेहता
श्री रामदास ठाकर

लेखिका :

डॉ. शुभांगना अत्रे, प्रा. साधना कुलकर्णी

चित्र एवं सजावट :

प्रा. दिलीप कदम, श्री रवींद्र मोकाटे

मानचित्रकार : श्री रविकिरण जाधव

भाषांतर संयोजन : डॉ. अलका पोतदार, विशेषाधिकारी हिंदी
संयोजन सहायक : सौ. संध्या वि. उपासनी, विषय सहायक हिंदी

संयोजक :

श्री मोगल जाधव : विशेषाधिकारी, इतिहास एवं नागरिकशास्त्र

श्रीमती वर्षा सरोदे : विषय सहायक, इतिहास एवं नागरिकशास्त्र

भाषांतरकार : प्रा. शशि मुरलीधर निघोजकर, श्री हरीश कुमार खत्री
समीक्षक : श्री धन्यकुमार बिराजदार, डॉ. प्रमोद शुक्ल

निर्मिति :

श्री सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिति अधिकारी

श्री प्रभाकर परब,
निर्मिति अधिकारी

श्री शशांक कणिकदळे,
साहाय्यक निर्मिति अधिकारी

अक्षरांकन :
भाषा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज :
७० जी.एस.एम. क्रोमवोव

मुद्रणादेश :

मुद्रक :

प्रकाशक :
श्री विवेक उत्तम गोसावी,
नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ,
प्रभादेवी, मुंबई-२५.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को,

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप २००५' और 'बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम –२००९' के अनुसार राज्य का **'प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०१२'** तैयार किया गया है । शासनमान्य इस पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन शालेय वर्ष २०१३–१४ से क्रमश: प्रारंभ हुआ है । इस पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरी कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक इतिहास और नागरिकशास्त्र विषयों का समावेश 'परिसर अध्ययन भाग–१' और 'परिसर अध्ययन भाग–२' में किया गया है । छठी कक्षा से आगामी पाठ्यक्रम में इतिहास और नागरिकशास्त्र को स्वतंत्र विषयों के रूप में रखा गया है । इसके पूर्व इन विषयों के लिए दो स्वतंत्र पुस्तकें निर्धारित थीं । अब इन दोनों विषयों का समावेश बड़ी आकारवाली एक ही पाठ्यपुस्तक में किया गया है । प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है ।

अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया बालकेंद्रित हो, स्वयंअध्ययन पर बल दिया जाए, अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी हो जैसे व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक तैयार की गई है । प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों को निश्चित कौन–सी क्षमताएँ प्राप्त करनी चाहिए; यह अध्ययन–अध्यापन करते समय स्पष्ट होना चाहिए । इस हेतु प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में इतिहास और नागरिकशास्त्र विभागों के प्रारंभ में संबंधित विषयों की अपेक्षित क्षमताओं का उल्लेख किया गया है । इन क्षमताओं के संदर्भानुसार पाठ्यपुस्तक में पाठ्यांश सामग्री की प्रस्तुति नवीनतापूर्ण पद्धति से की गई है ।

इतिहास विभाग में 'प्राचीन भारत का इतिहास' का समावेश किया गया है । उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को हमारी संस्कृति और परंपराओं की सर्वांगीण जानकारी प्राप्त हो और सामाजिक एकात्मता के विषय में उनकी अनुभूति में वृद्धि हो । प्राचीन भारत की संपन्नता के मूल में भारत के सुदूर देशों के साथ प्रस्थापित वे व्यापारिक संबंध थे; जो हड़प्पा संस्कृति के कालखंड से चले आ रहे थे । विश्वबंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य जैसे विचारों के बिना ये व्यापारिक संबंध संभव नहीं हैं; इसपर बल दिया गया है ।

नागरिकशास्त्र विभाग में 'स्थानीय शासन संस्था' की जानकारी प्राप्त करते समय विकास योजनाओं में स्थानीय जनता के सहभाग तथा महिलाओं के सहभाग द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं; उन परिवर्तनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । हमारे देश का शासन संविधान, कानून और अधिनियमों के अनुसार चलता है; इसे बड़ी सरल भाषा में विद्यार्थियों को बताया गया है । पाठों के बीच–बीच में चौखटों में जानकारी दी गई है । इस जानकारी के कारण विद्यार्थियों का अध्ययन अधिक प्रभावी होगा । शिक्षकों के लिए स्वतंत्र रूप से सूचनाएँ दी गई हैं । अध्यापन कार्य अधिकाधिक कृतिप्रधान होने के लिए उपक्रम दिए गए हैं ।

पाठ्यपुस्तक को अधिक–से–अधिक निर्दोष एवं स्तरीय बनाने की दृष्टि से महाराष्ट्र के सभी भागों से चुने हुए शिक्षकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से पुस्तक की समीक्षा कराई गई है । प्राप्त सूचनाओं तथा सुझावों पर यथोचित विचार करके प्रस्तुत पुस्तक को अंतिम स्वरूप दिया गया है । 'मंडळ' की इतिहास विषय समिति और नागरिकशास्त्र विषय समिति, अध्ययन गुट सदस्यों, लेखकों और चित्रकार के आस्थापूर्वक परिश्रम से यह पुस्तक तैयार हुई है । 'मंडळ' इन सभी का हृदय से आभारी है ।

आशा है कि विद्यार्थी–शिक्षक और अभिभावक इस पुस्तक का स्वागत करेंगे ।

(डॉ.सुनिल मगर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

पुणे
दिनांक : ९ मई २०१६, अक्षयतृतीया
भारतीय सौर : १९ वैशाख, १९३८

– शिक्षकों के लिए –

- विद्यार्थियों को प्राचीन भारत का इतिहास विषय पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि उन्हें हमारी संस्कृति और परंपराओं की सर्वांगीण जानकारी मिले और उसके द्वारा उनकी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की अनुभूति में वृद्धि हो । प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य का नियोजन करें ।
- प्रतिदिन के जीवन में विद्यार्थी कई सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं का अनुभव करते रहते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते रहते हैं । वे प्रश्न क्या हो सकते हैं; इसका अनुमान शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं । अतः विद्यार्थी निर्भीकता से वे प्रश्न पूछें; इस दृष्टि से शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें ।
- प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत का बोध उत्पन्न होने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, सिक्कों, प्राचीन स्थापत्यों के नमूनों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के कौन-कौन-से साधन हैं; इस विषय में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें । पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों को उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य जानकारी इकट्ठा करने हेतु प्रेरित करें ।
- हड़प्पा संस्कृति के समय से ही भारत के सुदूर देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुके थे और यही प्राचीन भारत की समृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारण है; इसे ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप संक्षेप में समझाएँ । इस प्रकार का व्यापार विश्वबंधुता और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के बिना संभव नहीं है; यह भी विद्यार्थियों के ध्यान में लाएँ।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के इंडोनेशिया और कंबोडिया देशों में आज भी रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों को नृत्यनाटिका के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा बनी हुई है । वहाँ के प्राचीन शिल्पों में इन महाकाव्यों में निहित कथाओं का समावेश किया हुआ दिखाई देता है । इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर उसे कक्षा में प्रस्तुत करने हेतु विद्यार्थियों को परियोजनाएँ/उपक्रम दें ।
- नागरिकशास्त्र विषय के अध्यापन कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे देश की शासन संरचना को स्पष्ट करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन के स्वरूप को संक्षेप में स्पष्ट करें ।
- स्थानीय प्रशासन व्यवस्था के विषय में राज्य सरकार के स्वतंत्र कानून एवं अधिनियम हैं । विद्यार्थियों को उन कानूनों और अधिनियमों की विस्तृत जानकारी देना अपेक्षित नहीं है परंतु हमारे देश की शासन व्यवस्था संविधान और कानून के अनुसार चलती है; यह विद्यार्थियों के मन पर अंकित करें । विद्यार्थियों को इसके लाभों से विभिन्न उदाहरणों द्वारा परिचित कराएँ ।
- तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के विषय में किए गए इन संशोधनों द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं का सक्षमीकरण हुआ है । इस बात को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को स्थानीय शासन संस्थाओं में हुए परिवर्तन बताएँ ।
- स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिभाग और उनके प्रतिभाग के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए हैं; उनका सप्रयोजन उल्लेख करें ।
- अंग्रेजों के शासन काल में स्थानीय शासन संस्था को 'स्थानीय स्वराज्य संस्था' कहा जाता था । स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में हमारा अपना ही शासन है । अत: इसे अब 'स्थानीय शासन संस्था' कहा जाता है ।

प्राचीन भारत का इतिहास

अनुक्रमणिका

पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या
१. भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास	१
२. इतिहास के साधन	६
३. हड़प्पा संस्कृति:	१०
४. वैदिक संस्कृति	१५
५. प्राचीन भारत में धार्मिक विचार	२०
६. जनपद और महाजनपद	२६
७. मौर्यकालीन भारत	३०
८. मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य	३६
९. दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य	४२
१०. प्राचीन भारत : सांस्कृतिक	४८
११. प्राचीन भारत और विश्व	५४

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2016. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

इतिहास अध्ययन निष्पत्ति – छठी कक्षा

सुझाई गई शिक्षा प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
विद्यार्थी को जोड़ी में/गुट में/व्यक्तिगत अध्ययन का अवसर देना और उसे निम्न बातों के लिए प्रेरित करना । • इतिहास की बनावट और भौगोलिक विशेषताओं के बारे मे जानकरी हासिल करते हैं । • चित्रों, विविध ऐतिहासिक साधनों के रेखाटनों का पठन, विश्लेषण पर चर्चा कर इतिहासतज्ञों ने भारत के इतिहास की पुर्नरचना किस प्रकार की होगी, इसका अर्थ लगाना । • मानचित्र संबंधी कृति : महत्त्वपूर्ण स्थानों को खोजना, शिकारी और खाद्यान्न इकट्ठा करने वालों के स्थान, खाद्यान्न उत्पादक, हड़प्पा संस्कृति, जनपद, महाजनपद, साम्राज्य, बुद्ध और महावीर के जीवन में घटी घटनाओं से संबंधित स्थान, भारत के बाहर की कला तथा वास्तुकला केंद्र और उनका भारत के साथ संबंध । • महाकाव्य, रामायण, महाभारत, सिलप्पधिकरम, मणीमेखलाई अथवा कालिदास जी का महत्त्वपूर्ण साहित्य खोज करना । • चर्चा करना : बौद्ध और जैन धर्म के तत्त्व और विचार प्रवाह की मूलभूत संकल्पना और केंद्रीय मूल्य उनके सीख की वर्तमान कालीन सार्थकता तथा प्राचीन भारतीय कलाओं और स्थापत्यशास्त्र का अध्ययन, भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान । • भूमिका पालन : अनेक ऐतिहासिक केंद्रीय कल्पनाओं पर आधारित जैसे – कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक में आया परिवर्तन, उस काल में लिखित साधनों में अंतर्भूत किसी विषय पर आधारित । • योजना (प्रकल्प) पद्धति : राज्यों की उत्क्रांती, गण और संघ की कार्य पद्धति – विविध राज्य, खानदानों का योगदान, भारत का भारत के बाहरी क्षेत्रों से संपर्क और इस संपर्क के कारण हुआ विशेष परिणाम इस प्रकल्प पर आधारित कक्षा चर्चा । • वस्तुसंग्रहालय से भेंट : प्रथम मानवीय (आदि मानव) उपनिवेश के भौतिक अवशेष देखने के लिए : हडप्पाकालीन, उनकी संस्कृति में पाई जाने वाली निरंतरता और परिवर्तन इन विषयों पर चर्चा करना ।	**विद्यार्थी –** 06.73H.01 इतिहास और भूगोल का सहसंबंध पहचानते हैं । 06.73H.02 विभिन्न प्रकार के स्त्रोतों (पुरातात्विक, साहित्यिक आदि) को पहचानते हैं और इस अवधि के इतिहास के पुनर्निर्माण में उनके उपयोग का वर्णन करते हैं । 06.73H.03 महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरास्थलों तथा अन्य स्थानों को भारत के एक रूपरेखा मानचित्र पर अंकित करते हैं । 06.73H.04 महत्त्वपूर्ण साम्राज्यों, राजवंशों के विशिष्ट योगदानों को उदाहरणों के साथ सूचीबद्ध करते हैं जैसे–अशोक के शिलालेख, गुप्त सिक्के, पल्लवों द्वारा निर्मित रथ मंदिर आदि । 06.73H.05 प्राचीन काल के दौरान हुए व्यापक बदलावों की व्याख्या करते हैं । उदाहरण के लिए, शिकार। संग्रहण की अवस्था, कृषि की शुरुआत। सिंधु नदी किनारे के आरंभिक शहर आदि और एक स्थान पर हुए बदलावों को दूसरे स्थान पर हुए बदलावों के साथ जोड़कर देखते हैं । 06.73H.06 उस समय की साहित्यिक रचनाओं में वर्णित मुद्दों, घटनाओं तथा व्यक्तित्वों का वर्णन करते हैं । 06.73H.07 धर्म, कला, वास्तुकला आदि के क्षेत्र में भारत का बाहरी क्षेत्रों के साथ संपर्क और उस संपर्क के प्रभावों के बारे में बताते हैं । 06.73H.08 संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में जैसे–खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और धातुओं का ज्ञान आदि में भारत के महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हैं । 06.73H.09 विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जानकारी का समन्वय करते हैं । 06.73H.10 प्राचीन काल के विभिन्न धर्मों और विचारों के मूल तत्त्वों और मूल्यों का विश्लेषण करते हैं । 06.73H.11 मानवता और धर्मनिरपेक्षता सर्वश्रेष्ठ विचार है इस बात को स्पष्ट करते हैं । 06.73H.12 वैचारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से मनुष्य का ज्ञान और अधिक समृद्ध होता है, इस बात को समझते हैं ।